



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265216
CG-DL-E-05082025-265216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3501]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

No. 3501]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(संपदा निदेशालय)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3587(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 1 अप्रैल, 2025, जारी संख्यांक 1532 में प्रकाशित भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1550 (अ). तारीख 28 मार्च, 2025 में,-

पंक्ति 3 में,

"स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन नियम, 1953 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8(ख), (ग) और (घ)"
के स्थान पर

"स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन नियम, 1953 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8(ख), (ग) और (घ), 10 और 13"

पढ़े।

[फा. सं. 19017/1/2015- नीति I (ई-3131144)]

5224 GI/2025

रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव